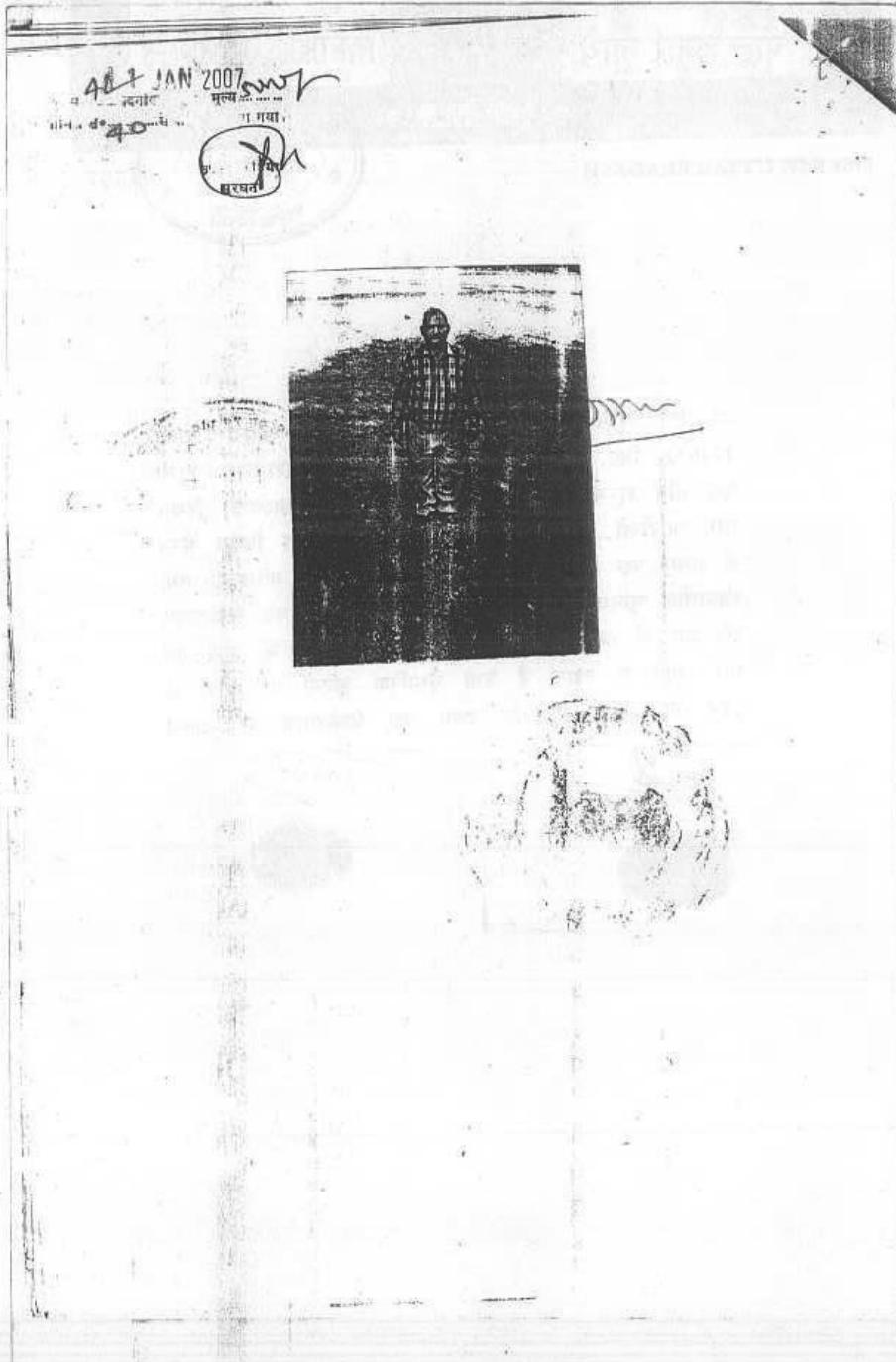






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक टुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त

4

Rs. 5000

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

THE GOVERNMENT OF INDIA

RUPEES

Five thousand rupees are hereby issued to the Government of India for the purpose of the purchase of the land for the construction of the new capital of the State of Madhya Pradesh. The land is situated in the District of Jabalpur and is of an area of about 1000 acres. The Government of India has decided to purchase this land for the purpose of the construction of the new capital of the State of Madhya Pradesh. The land is situated in the District of Jabalpur and is of an area of about 1000 acres. The Government of India has decided to purchase this land for the purpose of the construction of the new capital of the State of Madhya Pradesh.





32331

. 5 .



भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 2,48,768/- दो लाख अड़तालीस हजार सात सौ अड़सठ रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से

*Asingh*

*5* *Om*



